

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

## 42384 - मृतक का उसकी ओर से किए जाने वाले दान से लाभान्वित होना

### प्रश्न

मेरे पिता की मृत्यु हो गई - अल्लाह तआला उन पर दया करे - और मैं उनकी आत्मा के लिए दान करना चाहता हूँ। हो सकता है कि इसके कारण उनकी नेकियों में वृद्धि हो जाए और उनके पालनहार के पास उनके दर्जे बुलंद हो जाएँ, जैसे कि मस्जिद का निर्माण करना या ज्ञान की किताब छापना जिससे मुसलमानों को फायदा पहुँचे। लेकिन एक शैख (विद्वान) ने हमें यह फतवा दिया है कि इसका उसे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि यह उनके धन से नहीं है और (निरंतर) जारी रहने वाले दान (सदका-ए-जारिया) के लिए ज़रूरी है कि वह स्वयं उसी व्यक्ति के द्वारा उसके जीवनकाल में उसकी मृत्यु से पहले हो और उसकी मृत्यु के बाद भी जारी रहे। तो क्या शैख की यह बात सही है?

यदि यह सही नहीं है, तो कृपया मुझे शरीयत का हुक्म बताएँ और मुझे मेरे मृत पिता को लाभ पहुँचाने के सर्वोत्तम तरीके की सलाह दें। अल्लाह तआला आपको अच्छा प्रतिफल प्रदान करे।

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

विद्वानों ने इस बात पर सहमति जताई है कि दुआ, क्षमा याचना (इस्तिग़फ़ार), दान और हज्ज मृतक तक पहुँचते हैं।

जहाँ तक दुआ और इस्तिग़फ़ार (गुनाहों की माफी के लिए याचना करने) का संबंध है, तो इसके बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया है :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

سورة الحشر: 10

“और (उनके लिए) जो उन (मुहाजिरीन एवं अनसार) के बाद आए, वे कहते हैं : ऐ हमारे पालनहार ! हमें क्षमा कर दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं।” (सूरतुल हश्र : 10)

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : “अपने भाई के लिए क्षमा याचना करो और उसके लिए साबित क़दम रहने (सुदृढ़ता) का प्रश्न करो, क्योंकि अब उससे सवाल किया जा रहा है।”

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “जब तुम मृतक के जनाज़ा की नमाज़ पढ़ो, तो उसके लिए निष्ठापूर्वक दुआ करो।”

रही बात मृतक की ओर से दान करने की, तो सहीहैन में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से प्रमाणित है : “एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा : मेरी माँ की अचानक मृत्यु हो गई और वह वसीयत नहीं कर सकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें बोलने का अवसर मिलता, तो वह कुछ न कुछ दान करतीं। अगर मैं उनकी ओर से दान करूँ, तो क्या उनको सवाब मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : हाँ।” इसे बुखारी (हदीस संख्या : 1388) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1004) ने रिवायत किया है।

तथा बुखारी में सअद बिन उबादह रज़ियल्लाहु अन्हु से प्रमाणित है कि : उनकी माँ की मृत्यु हो गई जबकि वह अनुपस्थित थे। तो उन्होंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ की मृत्यु हो गई जबकि मैं उनके पास उपस्थित नहीं था। क्या यदि मैं उनकी ओर से दान करूँ, तो इससे उन्हें लाभ होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : हाँ। उन्होंने कहा : मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मेरा “मिखराफ़” नामक (खजूर का) बाग उनकी ओर से दान है।” इसे बुखारी (हदीस संख्या : 2756) ने रिवायत किया है।

जहाँ तक मृतक की ओर से हज्ज करने का संबंध है, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस महिला से, जिसने आपसे हज्ज के बारे में पूछा था, कहा : “तेरा क्या विचार है यदि तेरी माँ पर क़र्ज़ होता, तो क्या तू उसका भुगतान करती? उसने का : हाँ। आपने फरमाया : तो अल्लाह का क़र्ज़ भुगतान किए जाने के अधिक योग्य है।” इसे बुखारी (हदीस संख्या : 6699) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1148) ने रिवायत किया है।

ऊपर उल्लेख की गई बातों से आपको पता चल गया होगा कि मृतक की ओर से दान करना, उसे लाभ देगा और उसका सवाब उस तक पहुँचेगा।

मृतक की ओर से नमाज़ पढ़ने के बारे में एक ज़ईफ़ (कमज़ोर) हदीस रिवायत की गई है। और इमाम मुस्लिम ने सहीह मुस्लिम के प्राक्कथन में अब्दुल्लाह बिन अल-मुबारक के बारे में उल्लेख किया है कि उन्होंने ने इस हदीस को ज़ईफ़ (कमज़ोर) करार दिया है, फिर उन्होंने कहा :

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

“दान देने (अर्थात् मृतक की ओर से दान देने) के संबंध में कोई मतभेद नहीं है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

इमाम नववी ने कहा :

उनके कथन : “दान देने के संबंध में कोई मतभेद नहीं है।” का अर्थ यह है कि इस हदीस को सबूत (प्रमाण) के रूप में नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो कोई भी अपने माता-पिता के साथ सद्ब्यवहार करना चाहता है, उसे उनकी ओर से दान देना चाहिए। क्योंकि दान मृतक तक पहुँचेगा और वह उससे लाभान्वित होगा। इसके बारे में मुसलमानों के बीच कोई मतभेद नहीं है और यही सही दृष्टिकोण है। जहाँ तक उस बात का संबंध है जिसे शाफेई धर्मशास्त्री महा न्यायधीश अबुल-हसन अल-मावदी अल-बसरी ने अपनी किताब ‘अल-हावी’ में कुछ मुतकल्लिमीन से उल्लेख किया है कि मृतक को उसकी मृत्यु के बाद कोई भी सवाब नहीं पहुँचता है, तो वह निश्चित रूप से एक गलत मत और एक स्पष्ट गलती है, जो कुरआन और सुन्नत के ग्रंथों (नुसूस) और उम्मत की सर्वसम्मति के विरुद्ध है। इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

जहाँ तक मृतक की ओर से नमाज़ पढ़ने और रोज़ा रखने का संबंध है, तो शाफेई और जमहूर विद्वानों का मत यह है कि इनका सवाब मृतक को नहीं पहुँचता है। परंतु अगर मृतक पर वह रोज़ा वाजिब हो, फिर उसका वली या वली जिसे अनुमति दे, उसे उसकी ओर से क़ज़ा करे, तो इसके बारे में इमाम शाफेई के दो विचार हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध यह है कि यह मान्य (सही) नहीं है, तथा बाद के शाफेई विद्वानों में से अनुसंधानकर्ताओं के निकट उनमें सबसे सही राय यह है कि यह मान्य है।

रही बात मृतक की ओर से कुरआन पढ़ने की, तो शाफेई मत में प्रसिद्ध दृष्टिकोण यह है कि उसका सवाब मृतक को नहीं पहुँचता है। जबकि उनके कुछ साथियों का कहना है कि उसका सवाब मृतक को पहुँचता है। तथा विद्वानों के कुछ समूहों का विचार यह है कि नमाज़, रोज़ा, कुरआन के पाठ आदि... सभी इबादतों का सवाब मृतक को पहुँचता है। फिर नववी ने उल्लेख किया है कि दुआ, दान और हज्ज का सवाब, विद्वानों की सहमति के अनुसार, मृतक को पहुँचता है।” कुछ संशोधन के साथ उद्धरण समाप्त हुआ।

तोहफ़तुल-मुहताज (7/72) में कहते हैं :

“मृतक को उसकी ओर से दान करना लाभ पहुँचाता है। जिसमें मुसहफ़ (कुरआन की प्रतियाँ) आदि का वक्रफ़ करना, कुआँ खोदना और पेड़ लगाना शामिल है। चाहे ये सारी चीज़ें वह अपने जीवनकाल के दौरान स्वयं करे या उसकी मृत्यु के बाद उसकी ओर से किसी और के द्वारा किया जाए।” उद्धरण समाप्त हुआ।

जहाँ तक अपने पिता को लाभ पहुँचाने के सर्वोत्तम तरीके का संबंध है, तो आपको उनके लिए अधिक से अधिक दुआ करना

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

चाहिए। अल्लाह तआला ने फरमाया :

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“और कहते रहो : ऐ मेरे पालनहार! उन दोनों पर दया कर, जिस प्रकार उन्होंने बचपन में मुझे पाला है।” (सुरतुल इस्रा : 24).

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कार्य का क्रम बाधित हो जाता है, सिवाय तीन चीजों के : सदका जारिया (जारी रहने वाला दान), या ऐसा ज्ञान जिससे लाभ उठाया जाए, या नेक संतान जो उसके लिए दुआ करे।” इसे मुस्लिम (हदीस संख्या : 1631) ने रिवायत किया है।

जहाँ तक दान का संबंध है, तो सबसे अच्छी चीजों में से जिन पर दान खर्च किया जा सकता है, अल्लाह तआला के मार्ग में जिहाद, मस्जिदों का निर्माण और शरई ज्ञान के छात्रों की, उनके लिए किताबें छापकर या उन्हें वे पैसे देकर, मदद करना है, जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।